



ARMY PUBLIC SCHOOL RANCHI

Consent letter/Undertaking issued by Govt of Jharkhand, Letter No-16/V/1-29/2021-1904 dated 20 Sept 2021:

छात्र /छात्रा को विद्यालय भेजने हेतु अभिभावक सहमति-सह-घोषणा पत्र		
1	विद्यालय का नाम	
2	छात्र/छात्रा का नाम	
3	वर्ग	वर्ग क्रमांक
4	गृह पता	
5	मोबाइल न०	
6	मैं अपने पुत्र/पुत्री/वार्ड जो वर्ग का छात्र/छात्रा है, को शिक्षकों के मार्गदर्शन में पठन-पाठन हेतु अपने स्वेच्छा से विद्यालय भेज रहा/रही हूँ।	
7	वर्तमान में मेरे पुत्र/पुत्री/वार्ड को COVID-19 के कोई लक्षण नहीं हैं।	
8	मेरा पुत्र/पुत्री/वार्ड विद्यालय में COVID-19 के बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों का पालन करेगा/करेगी।	
9	मेरा पुत्र/पुत्री/वार्ड विद्यालय में शिक्षकों के बातों का अनुपालन करेगा/करेगी।	
10	यदि मेरे बच्चे में सर्दी, बुखार, खाँसी, स्वाद या गंध का पता न लगना जैसे लक्षण दिखते हैं, जो कोरोना के भी हो सकते हैं तो मैं इसके विषय में तुरंत विद्यालय के शिक्षकों को सूचित करूँगा/करूँगी। साथ ही मेरे घर या आसपास यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो मैं इसके विषय में विद्यालय को तुरन्त सूचना दूँगा /दूँगी।	
11	इन सब के बावजूद भी यदि मेरे बच्चे को कोरोना संक्रमण होता है तो उसके लिए मैं विद्यालय अथवा किसी सहपाठी/सहपाठियों को दोष नहीं दूँगा/दूँगी।	
12	मैं इस स्व-घोषणा सह सहमति प्रपत्र को पढ़/ सुन कर समझने के बाद हस्ताक्षर कर रहा/रही हूँ।	

माता/पिता/अभिभावक का नाम एवं हस्ताक्षर